

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/5127

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 10.6.25

1 पूनमाराम पुत्र
प्रहलादराम 2
अमेदाराम पुत्र
डुगराराम जातियान
जाट निवासी जान्दुओं
की ढाणी, खींपर
तहसील बाटाडु जिला
बाड़मेर।


1 भीयाराम पुत्र नारणाराम 2 हनुमान राम पुत्र
लालाराम 3 खेताराम पुत्र किशनाराम 4 भीखाराम
पुत्र लालाराम 5 किरताराम 6 लच्छाराम पिसरान
लाधाराम 7 सिदाराम पुत्र मुकनाराम 8 लिखमाराम
पुत्र रामचन्द्र राम 9 आईदानराम 10 वन्नाराम
पिसरान खेताराम 11 सोनाराम पुत्र जेरामाराम 12
देवाराम पुत्र अचलाराम 13 ईश्वर सिंह पुत्र
किशनाराम जाति जाट निवासी जान्दुओं की
ढाणी, तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 30/2025

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
दिनांक- 26/06/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार क्षेत्र खींपर तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 178 रकबा 0.1294 हैक्टर, खसरा संख्या 179 रकबा 2.9529 हैक्टर, खसरा संख्या 479/187 रकबा 1.1973 हैक्टर, खसरा संख्या 482/246 रकबा 4.1987 हैक्टर व खसरा संख्या 484/285 रकबा 5.4527 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपर्युक्त प्रकरण मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार क्षेत्र खींपर तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 178 रकबा 0.1294 हैक्टर, खसरा संख्या 179 रकबा 2.9529 हैक्टर, खसरा संख्या 479/187 रकबा 1.1973 हैक्टर, खसरा संख्या 482/246 रकबा 4.1987 हैक्टर व खसरा संख्या 484/285 रकबा 5.4527 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/5128 - 5131

दिनांक- 10.6.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खींपर तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण पूनमाराम पुत्र प्रहलादराम वगैराह जाति जाट निवासी जान्दुओं की ढाणी, पटवार क्षेत्र खींपर तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण भीयाराम पुत्र नारणाराम वगैराह जाति जाट निवासी जान्दुओं की ढाणी तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर